

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3, महात्मा गाँधी नरेगा)



क्रमांक: एफ 1(14)ग्रावि/नरेगा/वेज/2010

जयपुर, दि. 25.03.2013


जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी स्कीम,
समस्त राजस्थान।

विषय :- महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत अकुशल श्रमिक एवं मेट की मजदूरी दर में वृद्धि बाबत।

संदर्भ :- विभागीय समसंख्यक पत्र दि. 22.03.2013 (20.3.2013)
महोदय,

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक जे-11011/1/2009 एमजी नरेगा (पीटी) दि. 04.03.2013 के साथ संलग्न भारत का राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दि. 26.02.2013 के द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत अकुशल श्रमिकों की दैनिक मजदूरी दर दि. 01.04.2013 से ₹ 149 देना प्रस्तावित किया है (अधिसूचना की प्रति nrega.nic.in पर Circulars में उपलब्ध है)। इसी क्रम में उक्त संदर्भित पत्र द्वारा दि. 01.04.2013 से नरेगा योजनान्तर्गत मेट को राशि ₹ 159 प्रतिदिन दिये जाने के आदेश जारी किये गये हैं।

आपसे अनुरोध है कि महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत अकुशल श्रमिक एवं मेट को दि. 01.04.2013 से उपरोक्तानुसार बढ़ी हुई मजदूरी दर के अनुसार भुगतान करने का श्रम करावे। अकुशल श्रमिकों को टॉस्क अनुसार ही मजदूरी राशि देय होगी।

भवदीय

(खजान सिंह)

परि.निदे. एवं उप सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि :-

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस समस्त जिला परिषद।
2. अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस जयपुर/जोधपुर जिला परिषद।
3. अधिशाषी अभियंता, ईजीएस, जि.प. समस्त।
4. विकास अधिकारी, समस्त पंचायत समिति।
5. श्री रिकु, एमआईएस मैनेजर, कार्यालय हाजा को ई-मेल करने हेतु।
6. सहायक निदेशक, जनसम्पर्क (IEC) कार्यालय हाजा, ईजीएस को उक्त आदेशों के व्यापक प्रचार एवं प्रेस विज्ञप्ति जारी करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।



परि.निदे. एवं उप सचिव, ईजीएस